"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट.38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2012—कार्तिक 11, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्रमांक 3310/1932/2012/1-2.—इस विभाग के आदेश क्र. 2588/1604/2004/1/2, दिनांक 28-10-2004 एवं आदेश क्र. 2925/1604/2004/1/2, दिनांक 09-12-2004 द्वारा डॉ. ए. जयतिलक, भा.प्र.से. को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-15 के तहत दिनांक 09-10-04 से 31-12-2004 तक (84 दिवस) स्वीकृत किए गए असाधारण (अवैतनिक) अवकाश को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 की कंडिका-19 के प्रावधान के अनुसार अर्जित अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8633/21-ब/छ.ग./2012.—चूंकि राज्य शासन के आदेश क्रमांक 5901/1512/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 14-03-2012 के अनुसार केन्द्र शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय-समय पर घोषित महंगाई भत्ता राज्य के न्यायिक सेवा के अधिकारियों को भी यथावत् लागू है और चूंकि केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 1 (8)/2012-E-II(B) के अंतर्गत केन्द्र शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत दिनांक 01-07-2012 से कर दी गई है, अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 1 (1)/2012-E-II(B) दिनांक 03-04-2012 के अनुसार "छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते में केन्द्रीय सरकार के समान वृद्धि करते हुए, दिनांक 01-07-2012 से 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत महंगाई भत्ता भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है."

इस संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 430/1003656 दिनांक 17-10-2012 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्रमांक/1021/835/दो-गृह/भापुसे/2012.—श्री राहुल भगत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, कांकेर को दिनांक 12-10-2012 से दिनांक 26-10-2012 तक कुल (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27 एवं 28-10-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भगत आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कांकेर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री भगत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भगत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री भगत के अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र नारायण दास, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, दुर्ग (छ.ग.) अपने कार्य के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, कांकेर का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

क्रमांक/954/629/दो-गृह/भापुसे/2012.—इस विभाग के आदेश क्रमांक/184/164/दो गृह/भापुसे/2012 दिनांक 25-08-2012 जिसके द्वारा श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, छसबल 1/नक्स. ऑप., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 24-09-2012 से 01-10-2012 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक/एफ 1/06/दो-गृह/भापुसे/2010.—श्री टी. जे. लांगकुमेर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर, को दिनांक 22-10-2012 से दिनांक 26-10-2012 तक कुल (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 20, 21, 27 एवं 28-10-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर विदेश प्रशिक्षण उपरांत यू. के. की विदेश प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लांगकुमेर, आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री लांगकुमेर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लांगकुमेर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्रमांक/एफ 1/37/गृह-दो/भापुसे/2012.—श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भा.पु.से., एडीजी/संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़, रायपुर को विभागीय आदेश दिनांक 06-09-2012 जिसके द्वारा दिनांक 29, 30, 31 अगस्त एवं 31 सितम्बर तक कुल 04 दिवस के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को निरस्त कर दिनांक 29-08-2012 से दिनांक 07-09-2012 (10 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अंसारी आगामी आदेश तक एडीजी/संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़, रायपुर पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अंसारी को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/4183/एफ-11/12/2012/रबी/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक/13011/01/2008-Credit. II, दिनांक 7 मार्च, 2012 द्वारा जारी प्रशासकीय निर्देश के अनुक्रम में राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के 13 जिलों में गेहूं एवं चना फसलों (जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है) के लिए पायलट आधार पर रबी 2012-13 मौसम हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू करती है. इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड एवं आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड के माध्यम से किया जायेगा. योजना क्रियान्वयन में प्रीमियम अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि से संचालक कृषि द्वारा किया जाएगा.

2. पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) रबी 2012-13 में निम्नलिखित जिलों में लागू होगा :—

जिला	तहसील	फसल बीमा कम्पनी का नाम	फसल का नाम
रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर.	समस्त तहसीलें	आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड	गेहूं एवं चना
दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम.	समस्त तहसीलें	एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमि.	गेहूं एवं चना

3. यह पायलट योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक होगा.

4. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल बीमा कंपनियों से प्राप्त उत्पादों का अध्ययन मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त औसत (सामान्य) तापक्रम एवं वर्षा के आंकड़ों से किया जाकर फसलवार तथा जिलेवार Trigger Temperature Exit Temperature Payout, Maximum Payout Trigger Rainfall, Exit Rainfall, Payout तथा Maximum Payout का विवरण परिशिष्ट-1 में फसलवार, जिलेवार दर्शित है.

5. अधिसूचना में शामिल फसल बीमा कंपनियों को परिशिष्ट-1 में उल्लेखित Trigger को मान्य करने की बाध्यता होगी तथा दावे की गणना इसी आधार पर की जायेगी.

6. योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

7. किसान बीमा प्रस्ताव पत्र के प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा करेगा.

8. इस योजना का संचालन चयनित अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र के क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा. क्षेत्र दृष्टिकोण से आशय संदर्भित इकाई क्षेत्र से है. संदर्भित इकाई क्षेत्र के फसलों की जोखिम स्वीकार करने और मुआवजा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है. इसी प्रकार अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को उनकी बीमा शर्तों और मुआवजा आंकलन के संबंध में बराबर माना जाएगा.

9. प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित एजेंसी उत्तरदायी होगी. सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा.

10. दावा भुगतान प्रक्रिया :—

(क) दावा राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा मौसम केन्द्र से प्राप्त आकड़े व सरकार द्वारा कोष (प्रीमियम अनुदान) उपलब्ध कराने पर शीर्ष बैंक शाखा को बीमा अवधि समाप्त होने पर 45 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा.

(ख) मुआवजा प्रक्रिया स्वचालित होगी, संबंधित एजेंसी द्वारा मुआवजा आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित कृषकों के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुए मुआवजा राशि स्वयं ही जमा करा दी जाएगी.

11. अधिसूचित जिलों में फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन यथावत् किया जायेगा, किन्तु इन प्रयोगों के परिणाम का कोई असर मुआवजे की गणना अथवा भुगतान पर नहीं पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Annexure-1

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2012-13

District-Raipur, Baloda Bazar, Gariyaband

Crop-Gram

Cover Period	ICICI Lombard						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	28.5	29.5	31.5	33.5	35.5	38.5	40.5
Exit Temp. (°C)	33.5	34.5	36.5	38.5	40.5	43.5	45.5
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	20-40	100	2000	30-50	67	2000	20-40	50	1000

Crop-Wheet

Cover Period	ICICI Lombard						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	28.5	29.5	31.5	33.5	35.5	38.5	40.5
Exit Temp. (°C)	33.5	34.5	36.5	38.5	40.5	43.5	45.5
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	20-40	100	2000	30-50	67	2000	20-40	50	1000

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2012-13

District-Durg; Bemetara, Balod

Crop-Gram

Cover Period	AICIL						
	I Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (⁰C)	28	29	31	33	35	38	40
Exit Temp. (⁰C)	33	34	36	38	40	43	45
Difference Temp. (⁰C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AICIL	20-30	200	2000	20-30	200	2000	20-30	100	1000

Crop-Wheet

Cover Period	AICIL						
	I Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (⁰C)	28	29	31	33	35	38	40
Exit Temp. (⁰C)	33	34	36	38	40	43	45
Difference Temp. (⁰C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AICIL	20-30	200	2000	20-30	200	2000	20-30	100	1000

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2012-13

District-Rajnandgaon

Crop-Gram

Cover Period	AICIL						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	28	29	31	33	35	38	40
Exit Temp. (^{0}C)	33	34	36	38	40	43	45
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AICIL	20-30	200	2000	20-30	200	2000	20-30	100	1000

Crop-Wheet

Cover Period	AICIL						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	28	29	31	33	35	38	40
Exit Temp. (^{0}C)	33	34	36	38	40	43	45
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AICIL	20-30	200	2000	20-30	200	2000	20-30	100	1000

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2012-13

District-Kabirdham

Crop-Gram

Cover Period	AICIL						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (⁰C)	26	27	29	32	34	37	39
Exit Temp. (⁰C)	31	32	34	37	39	42	44
Difference Temp. (⁰C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AICIL	20-30	200	2000	20-30	200	2000	20-30	100	1000

Crop-Wheet

Cover Period	AICIL						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (⁰C)	26	27	29	32	34	37	39
Exit Temp. (⁰C)	31	32	34	37	39	42	44
Difference Temp. (⁰C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs per 0C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AICIL	20-30	200	2000	20-30	200	2000	20-[illegible]	100	1000

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2012-13

District-Bilaspur, Mungeli

Crop-Gram

Cover Period	ICICI Lombard						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	26	26.5	28	29.5	32	36	38
Exit Temp. (°C)	31	31.5	33	34.5	37	41	43
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	45-100	36	2000	30-50	100	2000	35-75	29	1000

Crop-Wheet

Cover Period	ICICI Lombard						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	26	26.5	28	29.5	32	36	38
Exit Temp. (°C)	31	31.5	33	34.5	37	41	43
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb.. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	45-100	36	2000	30-50	100	2000	35-75	29	1000

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2012-13

District-Sarguja, Surajpur, Balrampur

Crop-Gram

Cover Period	ICICI Lombard						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	24	25	27.5	30	32	36	38
Exit Temp. (°C)	29	30	32.5	35	37	41	43
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	30-90	25	1500	20-80	25	1500	30-90	8	500

Crop-Wheet

Cover Period	ICICI Lombard						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	24	25	27.5	30	32	36	38
Exit Temp. (°C)	29	30	32.5	35	37	41	43
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	30-90	25	1500	20-80	25	1500	30-90	8	500

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./02/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सारागांव प. ह. नं. 83/10	466/1	0.073	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	रायपुर - बलौदाबाजार मार्ग के कि.मी. 22/8 में कोल्हान नाला पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			467	0.146		
			468/1	0.069		
			469/1	0.146		
		योग	4	0.434		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नावापारा प. ह. नं. 26	0.486	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

[illegible] नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेलीपाली प. ह. नं. 26	1.293	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत खोखरा माइनर-3 नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	धनगांव प. ह. नं. 26	0.162	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रावनखोंदरा प. ह. नं. 26	0.080	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 09 अक्टूबर 2012

क्रमांक/भू-अर्जन/2012/प्र. क्र. 04 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	मगरचबा प. ह. नं. 06	1.838	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)	खोरसी नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक/3085/अ.भू-अ.प्र./08/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	मलपुरीखुर्द प. ह. नं. 39	7.86	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग (छ.ग.)	औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक/3088/अ.भू-अ.प्र./09/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	खासाडीह प. ह. नं. 36/29	29.81	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग (छ.ग.)	औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्रमांक/87/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-कस्तुरबोड़, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	48	0.27
योग	1	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गबौद जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 सितम्बर 2012

रा. प्र. क्र. 02 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भिंभौरी, प. ह. नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	360/8	0.056
योग	1	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण में अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

रा. प्र. क्र. 06 अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-कोदवागोडान, प. ह. नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.654 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.231
8/3	1.012
257/1	0.223
10/2	1.206
10/6ख	0.243
10/6ग	0.142
10/14	0.518
10/18	0.640
275/1	0.324
11/1	0.575
11/2	0.243
12	0.332
13	0.620
14/2	0.202
15/2	0.344
19	0.121
21	0.834
239/1	0.182
255/3	0.036
255/4	0.073
255/5	0.073
256	0.121
241	0.166
248/3	0.040
257/4	0.122
257/2	0.198
257/3	0.008
267	0.324
268	0.417
272/1	0.194
272/3ख	0.142
274/2	0.150
272/2	0.182
274/1	0.150
275/2	0.081
290/6	0.162
427/1	0.385
427/2	0.141
427/3	0.166
427/5	0.085
434/11	0.008
438/1	0.073
439/7	0.130
434/2, 438/2	0.194
435	0.518
437/1	0.113
243	0.020
244	0.142
239/2	0.048
योग	12.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-. कोदवा-किलकिला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

रा. प्र. क्र. 06 अ-82/2011-12.---चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-भोयटोला, प. ह. नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-[illegible]72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131/1, 132, 133, 134	0.400

(1)	(2)
136	0.166
138	0.223
139	0.219
147/2	0.069
149/2	0.041
150/3, 152/3	0.202
150/4, 152/4	0.052
योग	1.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोदवा-किलकिला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-तोकापाल
- (ग) नगर/ग्राम-बुरूंगपाल, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.50
11/2	0.45
15	0.08
20	0.90
65	0.02
66	0.85
148	0.28
150	0.30
179	0.20
330	0.36
338	0.04
343	0.04
योग	4.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 01, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-तोकापाल
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरीगुड़ा, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.59
13	0.48
14	0.61
287	0.55
289	1.00
291	1.05
297	0.12
298	0.20
299	0.20
301	0.15
314	1.60
316	0.25
317	0.16
319	0.05
416	0.25
योग	7.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 01, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक क/ [illegible] 4/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस [illegible] हो गया है [illegible] नीचे दी गई अनुसूची के पद ([illegible] अनुसूची [illegible] (2) में उल्लेखित सार्वजनिक [illegible] कता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक [illegible] की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता [illegible] उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-तोकापाल
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े मारेंगा, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367/1, 367/2	0.16
368	0.17
369	0.25
520/1, 520/2	0.33
521	0.17
योग	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 01, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-तोकापाल
- (ग) नगर/ग्राम-[illegible]ी मारेंगा, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105	0.14
106	0.12
111	0.03
112	0.23
130	0.27

(1)	(2)
141	0.02
148	0.23
149	0.47
150	0.09
153	0.16
योग	1.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 01, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर		रकबा (हेक्टेयर में)
(1)		(2)
1322		0.63
1323		1.56
1325		0.33
1326		0.30
1344		1.12
1349		0.41
1347		0.01
1353		0.70
1354		0.76
योग	09	5.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 01, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुसेल, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367	0.02

	(1)	(2)
	399	0.25
	400	0.25
योग	3	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 01, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th October 2012

No. 702/Confdl./2012/II-1-1/2012.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 11019/3/2012-US.I dated 09-10-2012 of Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, New Delhi, Hon'ble Shri Justice Abhay Manohar Sapre, seniormost Judge of the Chhattisgarh High Court shall perform the duties of the office of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh with effect from 10th October, 2012.

Bilaspur, the 10th October 2012

No. 704/Confdl./2012/II-1-1/2008.—Hon'ble Shri Justice Rajeev Gupta has demitted the office of Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh on 09-10-2012 in the afternoon on the eve of His Lordship attaining the age of 62 years.

Bilaspur, the 10th October 2012

No. 6853/V-3-7/2003.— "The Chhattisgarh High Court Lawyers Chambers (Allotment & Occupancy) Rules, 2011", published in the Chhattisgarh gazette, in its issue dated 06 May, 2011, is repealed with immediate effect.

Bilaspur, the 11th October 2012

No. 6995/CSJA/Inst. Trg. (FS)/ADJ 2012 Batch/12.— The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2012 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 29-10-2012 at 9.00 A.M. for undergoing the Institutional Training-Foundation Course (Final Stage) scheduled to be held from 29th October, 2012 to 09th November, 2012.

TABLE

Sl. No.	Name of Addl. District & Sessions Judge	Posted as & at
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Shakti Singh Rajput	II Additional Judge to the Court of I ADJ, Bilaspur

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Satyendra Kumar Sahu	III Additional Judge to the Court of I ADJ, Bilaspur
3.	Shri Shyam Lal Nawaratna	IV Additional Judge to the Court of I ADJ, Bilaspur

The abovementioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. The Accommodation Control Act
10. Rules & Orders (Civil & Criminal)
11. The Forms and Stationary Rules

By order of the Hon'ble Chief Justice,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.